—— । पाटी (हु…

पत्रावली पेश हुई …
…होदय द्वारे.....................पर है
अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवा…
दिनांक....28/2/2022 को पेश हो।

28-2-22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस प्रा० पत्र हिम श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी वकील ने प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी सड़क के नजदीक विशेष भू-भाग पर कब्जा कर निर्माण करने जा रहा है जो विवादित भूमि शामलाती है। विभाजन का दावा न्यायालय में लंबित है। अतः अप्रार्थी को दावा का निर्णय होने तक पाबंद कराया जावे। अप्रार्थी वकील ने जवाब प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी ने एक ख० नं० 469 पर ही अन्तरीम निषेधाज्ञा ले रखा है जबकि इन खाते में कई खसरा हैं तथा इन खाते में सभी पक्षकारान

…

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:23:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	को पार्टी नहीं बनाया गया है। केवल अप्रार्थी को ही पक्षकार बनाकर अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश ले रखा है। अप्रार्थी एक रिकॉर्ड खातेदार है। अतः प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र दिनांक 2.3.22 को पेश हो।	
	उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड (...)	
2.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। ग्राम सिपल की जमाबंदी खाता नं० नया 192 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें ख० न० 469 के अलावा कई खसरा नम्बरान है तथा अप्रार्थी रामदेव पुत्र बीरबल के अलावा कई सहखातेदार है। लेकिन प्रार्थी ने केवल ख० न० 469 पर केवल अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश ले रखा है। अप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत RRT 2005 (2) Page No-778-779 इस पर लागू होते है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त RRD 1981 Page No- 639-640 तथा RRD 1997 Page No. 427-428 इस पर लागू नहीं होते है। अप्रार्थी एक रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। उक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र साबित नहीं होता है।	
	आदेश	
	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सारहीन होने से खारिज किया जाता है। ... फैसल शुमार होकर नम्बर ... दाखिल दफ्तर हो।	
	2/3/22	
	उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड (...)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:23:48 IST
Reason: SelfAttested